विवाद को निपटाने हेतु एक स्थाई मध्यस्थता तंत्र की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नवम्बर, 1994 तक इस तंत्र द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पी एम ए) की स्थापना की गई है ताकि जब आपस में विवादों के निपटारे के सभी प्रयत्न असफल हो जायें तो सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के एक-दूसरे के बीच, सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम तथा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के बीच और पत्तन न्यास और केन्द्रीय सरकार के विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटारा हो सके।

(ग) स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ की नियुक्ति 6-8-1990 को की गई थी। नवम्बर, 1994 तक 37 वाणिज्यिक विवाद मध्यस्थ को सौंपे गये हैं और 11 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करना

2629. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों को 60 दिन के भीतर निपटाने का प्रावधान बनाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे प्रावधान के बावजूद सरकार उक्त आवेदनों पर उनकी प्राप्ति के 60 दिन के अंदर विचार नहीं करती ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदन पर प्रत्येक पर कितना समय लगा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की यह कोशिश है कि सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटा दिये जायें। किन्तु, कुछ अपरिहार्य कारणों से उक्त समय सीमा का हमेशा पालन कर पाना संभव नहीं है। कुछ मामलों में जब औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों में कमी होती है और पार्टी को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा जाता है, अथवा जब कुछ उद्योग/उद्योगों के संबंध में नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा होता है तो देरी होती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, 45% (लगभग) आवेदन प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर और 70% (लगभग) आवेदन प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर निपटा दिए गए थे।

Cha rman, MDs of Public Sector Undertakings

2630. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether top level posts, viz. Chairman, Managing Directors in the Public Sector Undertakings are filled up on the recommendations of the Bureau of Public Enterprises and if so, the details of names recommended by it during the last three years ;

(b) what are the names of PSUs which are still functioning without Chairman and Managing Directors and by when the same are proposed to be filled up; and

(c) the names of PSUs which are proposed to be privatised and by when ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) No, Sir.

(b) As per available information, there were 32 PSUs which were functioning without Chairman and Managing Directors as on 30-11-1994. The names of these PSUs are given in the Statement (*See* below). Posts of CMD are filled up by the concerned administrative Ministries/Departments in accordance with the prescribed procedure which includes selection by PESB and approval by the Government. This is an ongoing process.

(c) No decision has yet been taken to privatise any sector undertaking.